लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5689

26 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा बुनकर कल्याण हेतु निधियां

5689. श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद:
श्री सी०पी० जोशी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार सहित देश में आज की तिथि के अनुसार हथकरघा बुनकरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या बुनकरों के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा जारी राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा बुनकरों के कल्याण हेतु जारी ऐसी निधि का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या राजस्थान राज्य में अधिकांश हथकरघा बुनकर गरीब हैं और अत्याधिक ऋणग्रस्त हैं तथा यदि हां, तो राजस्थान के बुनकरों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): तीसरी अखिल भारतीय हथकरघा गणना (2009-10) के अनुसार बिहार राज्य सहित पूरे देश में 43.31 लाख हथकरघा बुनकर एवं संबद्ध कामगार हैं। पूरे देश में हथकरघा बुनकरों एवं संबद्ध कामगारों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग): निधियां राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त अर्थक्षम प्रस्तावों तथा पूर्व में जारी की गई निधियों के उपयोग के आधार पर जारी की जाती हैं। योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन तथा जारी की गई निधियों के इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात् बुनकर सेवा केंद्रों (डब्ल्यूएससी) के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सरकारी दौरे किए जाते हैं।

इसके अलावा, योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रभारी, बुनकर सेवा केंद्र के संचालन में संबंधित राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) के प्रतिनिधित्व वाली समिति गठित की गई है।

(घ): राजस्थान में हथकरघा बुनकरों को सहायता के उद्देश्य से पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

I. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम(एनएचडीपी) के तहत 569 हथकरघा बुनकरों को शामिल करते हुए 172.31 लाख रूपये के भारत सरकार के हिस्से सहित 175.09 लाख रूपये की कुल लागत के साथ एक ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर स्वीकृत किया गया है और अब तक 34.77 लाख रूपये जारी किए गए हैं।

II. हथकरघा उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 05 विपणन कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं और कार्यान्वयन एजेंसियों को 1.00 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

III. राजस्थान के 'कोटा डोरिया' उत्पाद को जीआई (भौगोलिय संकेतक) अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है।

IV. रियायती ब्याज दर पर हथकरघा बुनकरों को 2.30 करोड़ रूपये की ऋण राशि वाले 890 मुद्रा ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

V. बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान 6682 हथकरघा बुनकरों को महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) के तहत शामिल किया गया है । 2017-18 से हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्लयूवाई) के संघटक प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) /प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और परिवर्तित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) कार्यान्वित किए गए हैं और 5001 बुनकरों का नामांकन किया गया है। हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए 30.09.2014 तक स्वास्थ्य बीमा योजना(एचआईएस) कार्यान्वित की गई थी।

VI. यार्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 03 यार्न डिपो स्थापित किए गए हैं। मिलगेट मूल्य पर 9.41 करोड़ रूपये मूल्य के 10.03 लाख किलोग्राम यार्न की आपूर्ति की गई है और यार्न आपूर्ति योजना के 10% सब्सिडी संगठक के तहत 0.238 करोड़ रूपये मूल्य के 0.01 लाख किलोग्राम यार्न की आपूर्ति की गई है।

VII. हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तुओं के आरक्षण) अधिनियम, 1985 को लागू करने के उद्देश्य से प्रवर्तन मशीनरी स्थापित करने हेतु 45.34 लाख रूपये जारी किए गए हैं। समय-समय पर विद्युतकरघा इकाई का निरीक्षण किया जाता है और विद्युतकरघा पर आरक्षित हथकरघा मदों के उत्पादन को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जाते हैं।

VIII. हथकरघा बुनकरों को मुद्रा ऋण प्राप्त करने, यार्न पासबुक, करघे एवं सहायक सामान एनआईओएस तथा इग्नू पाठ्यक्रमों के नामांकन आदि की सुविधा हेतु 7 से 17 अक्टूबर, 2017 और 19 से 24 फरवरी, 2018 के दौरान हथकरघा क्लस्टरों/पॉकेटों में 08 हस्तकला सहयोग शिविर आयोजित किए गए थे।

*****

अनुबंध

दिनांक 26.07.2019 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5689 के भाग (क) में उल्लिखित विवरण

2009-10 को हुई तीसरी हथकरघा गणना के अनुसार हथकरघा बुनकर और संबद्ध कामगारों की राज्य-वार संख्या का विवरण

क्र.सं.	राज्य	हथकरघा बुनकरों और संबद्ध कामगारों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2,89,809
2	अरूणाचल प्रदेश	33,041
3	असम	16,43,453
4	बिहार	43,392
5	छत्तीसगढ	8,191
6	दिल्ली	2,738
7	गोवा	0
8	गुजरात	11,009
9	हरियाणा	7,967
10	हिमाचल प्रदेश	13,458
11	जम्मू एवं कश्मीर	33,209
12	झारखंड	21,160
13	कर्नाटक	89,256
14	केरल	14,679
15	मध्य प्रदेश	14,761
16	महाराष्ट्र	3,418
17	मणिपुर	2,18,753
18	मिज़ोरम	43,528
19	मेघालय	13,612
20	नागालैंड	66,490
21	ओडिशा	1,14,106
22	पांडिचेरी	2,803
23	पंजाब	2,636
24	राजस्थान	31,958
25	सिक्किम	568
26	तमिलनाडु	3,52,321
27	तेलंगाना	66,029
28	त्रिपुरा	1,37,177
29	उत्तर प्रदेश	2,57,783
30	उत्तराखंड	15,468
31	पश्चिम बंगाल	7,79,103
	कुल	**43,31,876**